प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 12.01.2025

- ❖ **अपराध नियंत्रण की दिशा में अवैध शस्त्र बरामदगी हेतु कानपुर देहात पुलिस द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- ❖ **थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस व 01 अदद मिस कारतूस किया गया बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेंज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम एवं खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक **12.01.2025** को थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि 01 व्यक्ति मोहब्बत शाह बाबा मजार के पास कल्ला रोड पर खड़ा हुआ है जिसके पास अवैध असलाह है। उक्त सूचना पर तत्काल भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर खड़े हुए व्यक्ति की तरफ बढ़ी तो उस व्यक्ति ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया जिस पर थाना भोगनीपुर पुलिस टीम ने घेरकर उस व्यक्ति को मोहब्बत शाह बाबा मजार से लगभग 150 कदम की दूरी पर ग्राम कल्ला की ओर रोड पर थाना भगोनीपुर जनपद कानपुर देहात से समय 00.26 बजे पकड़ लिया। पकडे गये व्यक्ति की जामातलाशी लेते हुए पूछताछ करने पर उसने अपना नाम कफील अहमद उर्फ बौरा पुत्र तसरीफ अहमद निवासी अहरौली शेख थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र लगभग 38 वर्ष बताया तथा उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद मिस कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 16/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1- कफील अहमद उर्फ बौरा पुत्र तसरीफ अहमद निवासी अहरौली शेख थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र लगभग 38 वर्ष।

अभियुक्त कफील अहमद उर्फ बौरा पुत्र तसरीफ अहमद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 69/2019 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 312/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 16/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी - एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद मिस कारतूस 315 बोर नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार तिवारी चौकी प्रभारी पुखरायाँ थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
2. हे0का0 351 ज्ञानवीर सिंह थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
3. का0 534 हर्ष चौधरी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
4. का0 981 मो0 आसिम थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
5. का0 1009 गौरव कुमार थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।